

22.07.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी वकील द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रहा है वादी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असागतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।



Durg
सहायक कलक्टर
एब उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़